न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-278Jodhpur2021-146 Kaluram ors Vs Smt. Kheti etc

1. कालुराम पुत्र स्व. श्री भभूतराम
2. गोदाराम पुत्र स्व. श्री भभूतराम
3. निम्बाराम पुत्र स्व. श्री भभूतराम गोद पुत्र स्व. श्री गोकलराम, सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम नान्दड़ा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती खेती पत्नी स्व. श्री गोकलराम, निवासी- नान्दड़ा कलां, वर्तमान निवासी- बनाड़।
2. श्रीमती भीखी पुत्री स्व. श्री गोकलराम पत्नी श्री फुसाराम, निवासी- बनाड़, तहसील जोधपुर।
3. श्रीमती सायरी पुत्री स्व. श्री गोकलराम पत्नी श्री मंगलाराम निवासी- जाजीवाल खिचीयां, तहसील जोधपुर।
4. श्रीमती चुकी पुत्री स्व. श्री गोकलराम पत्नी श्री बुधाराम निवासी- रामपुरा तहसील औसिंया।
5. पुखराज पुत्र स्व. श्री नारायणराम निवासी- नान्दड़ा कलां, तहसील जोधपुर।
6. श्रीमती सुगना पत्नी स्व. श्री भीयाराम
7. श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व. श्री पूनाराम
8. श्रीमती सोनी पत्नी श्री बद्रीनारायण
   तीनो निवासी- सीगड़ों की ढाणी, नान्दड़ा कलां, तहसील जोधपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 जनवरी 2018 एवं 08 जुलाई 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 115/2016 पुखराज बनाम गोदाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री जी.आर.गोरा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व चार
श्री रामनिवास चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 115/2016 पुखराज बनाम गोदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2018 व 08 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या पांच ने एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 131 रकबा 10.07 बीघा, खसरा नं. 136 रकबा 15.15 बीघा, खसरा नं. 234 रकबा 39.16 बीघा, खसरा नं. 245 रकबा 54.16 बीघा एवं खसरा नं. 247 रकबा 37.04 बीघा ग्राम नान्दड़ा कलां के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या पांच की बहस सुनकर अंतरिम आदेश 03 जनवरी 2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जो आदेश दिनांक 08 जुलाई 2021 के जरिये अंतरिम रूप से जारी रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2018 एवं 08.07.2021 एकतरफा मानस बनाकर बिना सुनवाई का अवसर दिये तथ्यों एवं विधि विरुद्ध पारित किये है। प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हैं। सभी पक्षकारान् अपने-अपने हिस्से के खेतों पर काबिज है, किसी का किसी के विरुद्ध कभी कोई योगदान भी नहीं रहा, हकीकत यह है कि अपीलांट संख्या तीन निम्बाराम बचपन से अपने चाचा गोकलराम का गोद पुत्र रहा है, जिससे संपूर्ण आराजी का 1/3 भाग स्व. गोकलराम का हिस्सा, मकान, बाड़े इत्यादि का उपयोग-उपभोग एक मात्र निंबाराम अपीलांट संख्या 3 करता आ रहा है, जिसका अपने जन्मदाता पिता स्व. श्री भभूतराम के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि या अन्य संपति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। उपरोक्त निम्बाराम से डाह हो जाने एवं निम्बाराम की गोद बहन श्रीमती भीखी द्वारा अपनी माता यानि अपीलांट की गोद माता खेती देवी को बहकाकर गोकलराम के हिस्से की सम्पति निम्बाराम के हक से छोड़ने के लिए उक्त वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र बादी प्रार्थी से सांठ-गांठ करके प्रस्तुत करवाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये अंतरिम आदेश को स्थगन प्रस्तुत किये जाने के लगभग डेढ-दो वर्ष बाद पारित किया है, जिस बाबत किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त नहीं की गई है तथा उक्त आदेश कभी भी आगे इल्तवा पेशी में नहीं बढाया गया है। मगर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर भी अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट्स की इस्तदुआ को अनदेखा कर उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किये बिना ही स्थगन आदेश की अवधि आगे बढा दी। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश किया जा चुका है, जिस पर गौर किये बिना ही मामले का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त अंतरिम आदेश की आड़ में हल्का पटवारी एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा पक्षकारान् पुखराज एवं भीखी देवी से सांठ-गांठ करके मिलीभगत से जमाबंदी में स्थगन नोट लगाने से अपीलांट को अपनी सहकारी समिति एवं केसीसी ऋण इत्यादि अनेको सरकारी सुविधाओं से वंछित रखा जा रहा है। अपीलांट संख्या तीन के पक्ष में निष्पादित गोदनामे के आधार पर जमाबंदी में स्व. श्री गोकलराम के गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज करवाने बाबत भी महरूम रहा है। अपीलांट संख्या तीन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत हस्तगत वाद पत्रावली एवं अपीलांट संख्या तीन द्वारा प्रस्तुत वाद निम्बाराम बनाम खेती देवी को एक साथ सलंग्न करने का निवेदन किया, जिस प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेंट्स द्वारा न तो जवाब दिया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना गया, जिससे यह अपील स्वीकार योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2018 एवं 08 जुलाई 2021 को निरस्त किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्से ने अपीलाधीन आदेशो का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विभाजन के दावे के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय में धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना है। अंतरिम आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2074-2077 ग्राम नांदड़ा कलां तहसील जोधपुर खाता संख्या 56 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 27 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित अस्थाई व्यादेश दिनांक 16.08.2021 के जरिये अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से तक रहन रखने की सीमा तक त्वरित अनुतोष प्रदान किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या पांच द्वारा प्रस्तुत विभाजन का दावा विचारण न्यायालय मे विचाराधीन होने तथा विभाजन के दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति में बदलाव न हो, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाया जाता है। चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का जवाब पेश किया जा चुका है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के शीघ्र अंतिम निस्तारण हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 115/2016 पुखराज बनाम गोदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2018 व 08 जुलाई 2021 को यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 माह की अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर